सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No NCST/SER-290/MRLY/4/2022-SSW Dated: 04.12.2024

To,

Shri Ashok Kumar Verma
General Manager
Northern Railway
Baroda House, New Delhi -110001
Email: gm@nr.railnet.gov.in, Phone :- 23387227

Sub:- Harassment of ST employee by the Administration of Northern Railway, Concrete Sleeper Plant, Khalispur, Varanasi-a representation dated 29.12.2021 by Satish Kumar, Retd. Technician Grade-I, Concrete Sleeper Plant, Northern Railway, Khalispur, Varanasi.

महोदय,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the sitting held on 18.11.2024 at 11:20 PM under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi 110003 on the above mentioned subject.

It is requested that the action taken/ to be taken in the matter may be intimated to NCST within stipulated time from receipt of the letter for placing it before the Commission.

Yours faithfully,

(एच.आर.मीना /H.R Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:- 24641640

Copy for information:-

1. Shri Satish Kumar,
   Quarter No. 4-A, CSP Railway Colony,
   Khalispur, PO-Pindra,
   District-Varanasi-221206 (Uttar Pradesh) (Mob No- 9451888629)
2. PS to Hon'ble Member (AL), NCST
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

माननीय सदस्य महोदया, डॉ. आशा लकड़ा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में श्री सतीश कुमार, (सेवानिवृत्त) तकनीशियन ग्रेड-I, कंक्रीट स्लीपर प्लांट, उत्तरी रेलवे, खालिसपुर, वाराणसी को पात्रता की तिथि से नियमित पदोन्नति देने के संबंध में दिनांक 18.11.2024 समय 11:20 बजे सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 18.11.2024, सुबह 11:20 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक
File: NCST/SER-290/MRLY/4/2022-SSW

श्री सतीश कुमार, सेवानिवृत्त तकनीशियन ग्रेड-I, कंक्रीट स्लीपर प्लांट, उत्तरी रेलवे, खालिसपुर, वाराणसी ने दिनांक 29.12.2021 के अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि उत्तर रेलवे द्वारा उन्हें विभागीय मामले में प्रशासन द्वारा दोषमुक्त किए जाने के बाद भी पदोन्नति (Sr. Technician) नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने उनके ST प्रमाण पत्र के संबंध में उन पर आरोप पत्र जारी किया था, परंतु आरोप सिद्ध नहीं हुए। अभ्यावेदक 'गोंड' जाति से हैं, जिसे पूर्व में 'अनुसूचित जाति' श्रेणी में रखा गया था और उन्होंने 28.12.1993 को प्राधिकरण द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। लेकिन बाद में, दिनांक 18.12.2002 को विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत, 'गोंड' सहित अन्य पाँच जातियों को 'अनुसूचित जनजाति' श्रेणी में शामिल/स्थानांतरित कर दिया गया। यह आरोप भी है कि 2016 में उन्हें ST पद के आरक्षित बिंदु के तहत पदोन्नति से वंचित कर दिया गया।

2. NCST ने उपरोक्त प्रकरण को समसंख्यक नोटिस दिनांक 30.03.2022 के द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, भारतीय रेल को 30 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु भेजा। उत्तर रेलवे ने पत्र दिनांक 20.01.2023 के माध्यम से बताया की आवेदक को दिनांक 01.08.2017 से प्राक्कलित पदोन्नति (notional promotion) प्रदान की गई है। बकाया राशि का भुगतान भी तदनुसार किया जा रहा है।" आयोग ने रेलवे के इस पत्र को, दिनांक 24-01-2023 के पत्र द्वारा आवेदक को सूचना हेतु भेजा।

3. इसके पश्चात, आयोग द्वारा उत्तर रेलवे तथा आवेदक के साथ पत्राचार किया गया परंतु समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हुआ। अतः आयोग ने प्रकरण में दिनांक 18.11.2024 को रेलवे के अधिकारियों और याचिकाकर्ता के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना आयोग के Sitting Notice दिनांक 11.11.2024 द्वारा आवेदक व संबन्धित अधिकारियों को भेजी गयी।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे ने अपने पत्र दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी तथा मुख्य अभियंता (TSP), उप मुख्य अभियंता (TS) तथा उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे को उपस्थित होने के लिए सूचित किया।

4. बैठक में रेलवे अधिकारी उपस्थित हुए तथा आवेदक उपस्थित नहीं था। रेलवे अधिकारियों ने अपनी पिछली टिप्पणियों को दोहराया और कहा कि 01.08.2017 से नोशनल पदोन्नति दी गई थी। अधिकारियों से पूछा कि क्या नोशनल पदोन्नति की तिथि से बकाया भुगतान किया गया है और क्या पेंशन उसी तरह समायोजित की गई है? रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कोई बकाया भुगतान नहीं किया गया है और नोशनल प्रमोशन के कारण पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है।

5. Sitting के दौरान आयोग ने यह पाया कि उत्तर रेलवे द्वारा प्रकरण में उचित जांच . नहीं की गयी है। डीपीसी की कार्यवाही सीलबंद लिफाफे में नहीं रखी गई। अतः, इस प्रकरण में उत्तर रेलवे द्वारा फिर से जांच करना चाहिए।

6. प्रकरण मे चर्चा के बाद निम्नलिखित संस्तुतियाँ की तथा सुझाव दिया कि की गयी/की जाने वाली कार्यवाही रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आयोग को प्रस्तुत की जाए–

1. रेलवे प्रशासन द्वारा याचिकाकर्ता की नियमित पदोन्नति की तिथि पर पुन: समीक्षा की जाए।
2. नियमित पदोन्नति की तिथि (01.08.2017) से सभी बकाया राशि की गणना की जाए तथा याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए।
3. नियमित पदोन्नति से पेंशन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी गणना की जाए तथा पेंशन एवं पेंशन एरियर का भी भुगतान किया जाए।
4. संबन्धित पद के रोस्टर, जिसमें अनुसूचित जनजाति का विवरण भी उपलब्ध हो, उसकी प्रति प्रदान की जाए।
5. रेलवे प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण सम्बंधित संस्था के साथ प्रत्येक 3 महीने की अवधि पर बैठक की जाए।
6. आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए, जैसा कि आयोग ने अगस्त, 2021 में सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी थी (प्रति संलग्न)।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

List of participants of the sitting held on 18.11.2024 at 11:20 AM under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, NCST in the case of Shri Satish Kumar, Retd. Technician Grade-I, Concrete Sleeper Plant, Northern Railway, Khalispur, Varanasi regarding harassment of ST employee by the Administration of Northern Railway,

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Surat Singh Director		
2.	Sh R. S. Misra Consultant		
3.	Shri Akash Tripathy Sr. Investigator		
4.	Shri Neelmani Thakur Consultant (Legal)		
II	**Northern Railway**		
Sr. No.	**Name and Designation**	**Address & Phone No.**	**Signature**
1.	VIVEK PRAKASH Dy. CPO / HQ-II	9717630637.	[signature]
2.	Rakesh Yadav CE/TSP	9717630274	[signature]
3.	Nem Singh Baghel DyCE/TSP	9717631226	[signature]
4.	Brij Bhushan Garg TCO-II	9717630252	[signature]
5.			
III	**Petitioner**		